न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 175/2025 निर्णय दिनांक 27.04.2026
ऑनलाईन नम्बर 2025/396

राजेन्द्र कुकणा पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ।

—प्रतिवादी—

—उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से दावा निम्न प्रकार से सादर प्रस्तूत है कि वादी सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर (राजस्थान) का स्थायी निवासी है। वादी एक साधारण किसान परिवार का कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसको घर पर राजू के नाम से पुकारा जाता है। जबकि वादी के समस्त मूल दस्तावेजो मे नाम राजेन्द्र कुकणा पुत्र रेखाराम नाम से दर्ज चला आ रहा है। वादी का संयुक्त खातेदारी खसरा नम्बर 610/451 तादादी 8.7100 हैक्टेयर रोही ग्राम सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है जिसमें वादी का 6/7 हिस्सा अवस्थित है। जमाबंदी में वादी का नाम राजूराम पुत्र रेखाराम अंकित है। वादगत कृषि भूमि वादी के पिता रेखाराम की मृत्यु के उपरान्त वादी को विरास्तन प्राप्त हुई राजस्व कार्मिक द्वारा जेठाराम के वारिसान के नाम भूमि विरास्तन नामान्तरण दर्ज करते समय मौजिज व्यक्तियो समक्ष सजरा कायम करते समय वादी का नाम राजेन्द्र कुकणा की बजाय राजूराम जो कि वादी के घर का नाम है अंकित करवा दिया वादी को घरेलू बोल चाल में राजूराम कहते थे इसलिए वादी का नाम राजूराम अंकित कर दिया गया।वादी का वास्तविक नाम राजेन्द्र कुकणा पुत्र रेखाराम है। जमाबंदी में राजूराम पुत्र रेखाराम होने से नाम की भिन्नता के चलते वादी को उपरोक्त वादगत कृषि भूमि के सुधार के लिए के.सी.सी. बनवाने हेतु काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वादी के समस्त पहचान के दस्तावेजो में वादी का नाम राजेन्द्र कुकणा पुत्र रेखाराम अंकित है। वादगत खसरा भूमि में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया है इस बाबत वादी दिनांक 27.09.2025 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि जिस पर प्रतिवादी ने वादी का सही नाम दर्ज करने से इन्कार कर दिया व वादी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम सही अंकित व शुद्धिकरण करना सम्भव नही है । राजस्व रिकार्ड में उक्त संशोधन होने से प्रतिवादी के हितो पर कोई विपरित असर नही पड़ेगा जबकि इसके विपरित सही नाम दर्ज नही होने से वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादी के पास वादगत खेत राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध नाम राजेन्द्र कुकणा दर्ज करवाने के लिए घोषणा की डिक्री के अलावा अन्य कोई अनुतोष नही है। वादगत खेत वादी की सयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त होने के कारण वादी को खिलाफ प्रतिवादी वादाधार हासिल है। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 27.09.2025 को वादी का

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज नही करने से वादी को प्रतिवादी के खिलाफ वादहेतू हासिल है। वादी द्वारा प्रस्तूत घोषणात्मक दावा में राजस्थान राज्य आवश्यक पक्षकार है राजस्थान राज्य को पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80 सीपीसी के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है वादी का दावा अर्जेन्ट नेचर व तुरन्त अनुतोंष प्राप्ति का होने के कारण धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तूत कर न्यायालय श्रीमान की अनुमति से यह दावा प्रस्तूत किया जा रहा है। वादगत खेत रोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से यह दावा श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तूत किया जा रहा है। अतः दावा प्रस्तूत कर श्रीमान्जी से निवेदन है। कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे–

(क) कि घोषित किया जावे कि वादगत खेत खसरा नम्बर 610/451 तादादी 8.7100 हैक्टेयर रोही ग्राम सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे वादी का नाम राजूराम पुत्र रेखाराम की जगह राजेन्द्र कुकणा पुत्र रेखाराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अंकन किया जावे।

(ख) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या दोराने दावा हो जाये व भी वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी PW-1 में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। वादी के बयान लेखबद्ध किये गये व वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। जिरह पैरोकारराज शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 610/451 तादादी 8.7100 हैक्टेयर वाकेरोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम "राजूराम पुत्र रेखाराम" के स्थान पर "राजेन्द्र कुकणा पुत्र रेखाराम" घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

राजेन्द्र कुकणा पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ।

मुकदमा नम्बर 175/2025

दावा बाबत खाताः घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 27.04.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजाराम नैण अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 610/451 तादादी 8.7100 हैक्टेयर वाकेरोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम "राजूराम पुत्र रेखाराम" के स्थान पर "राजेन्द्र कुकणा पुत्र रेखाराम" घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 27 माह 04 सन् 2026 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ